प्रेस नोट
दिनांक 04.06.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा की अध्यक्षता में ''बहू–बेटी सम्मेलन'' जिला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का सफल आयोजनः–

गोण्डा। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध तथा लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम, महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने तथा समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोरखपुर जोन उत्तर प्रदेश पुलिस की अभिनव पहल ''बहू–बेटी सम्मेलन'' के अंतर्गत जनपद गोण्डा में जिला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन आज दिनांक 04 जून 2026 को अमर शहीद श्री राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी बहुउद्देशीय हॉल, पुलिस लाइन गोण्डा में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यूनिसेफ द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत पौध भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में कल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री प्रेमशंकर श्रीवास्तव, चाइल्ड काउंसलर श्रीमती नीलू त्रिपाठी, पीएसडब्ल्यू एएसएमसी गोण्डा श्री उमेश कुमार, स्वास्थ्य विभाग से डिप्टी सीएमओ डॉ. टी.पी. जायसवाल, डीपीआरओ कार्यालय से श्री अरुण कुमार, एडीओ/बीडीओ श्री सतीश तिवारी एवं अन्य प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। इसके अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर की केस वर्कर, जिला संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी श्री चन्द्र मोहन वर्मा, जिला प्रोबेशन विभाग के जेंडर स्पेशलिस्ट श्री राजकुमार आर्य, जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन के जिला मिशन समन्वयक श्री शिवेन्द्र श्रीवास्तव तथा न्याय विभाग से श्री कन्हैया तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा से संरक्षण, महिला हेल्पलाइन, बाल संरक्षण, लैंगिक समानता तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल द्वारा किया गया। स्वागत संबोधन के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री राधेश्याम राय ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा पुलिस विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा बहू–बेटी सम्मेलन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण सामुदायिक पहल है, जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़कर महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया जाएगा।

कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में यूनिसेफ की राज्य सलाहकार सुश्री पल्लवी राय एवं मण्डलीय बाल संरक्षण सलाहकार श्री शैलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रतिभागियों को महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हिंसा की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध आंकड़ों, सामाजिक कारणों एवं उनके प्रभावों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध केवल कानूनी चुनौती नहीं बल्कि सामाजिक एवं व्यवहारगत समस्या भी है, जिसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। प्रशिक्षकों द्वारा ''बहू–बेटी सम्मेलन'' की अवधारणा, उद्देश्य एवं उत्पत्ति पर विस्तृत चर्चा करते हुए बताया गया कि यह कार्यक्रम महिलाओं एवं बालिकाओं से जुड़े मुद्दों पर खुली एवं सकारात्मक चर्चा का मंच प्रदान करेगा। इसके माध्यम से समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव, रूढ़िवादी सोच एवं महिलाओं के प्रति हिंसा के कारणों पर संवाद स्थापित कर सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को लिंग एवं जैविक लिंग के मध्य अंतर, समाज में लैंगिक भूमिकाओं का निर्माण, पितृसत्तात्मक सोच के प्रभाव तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता के विषय में जानकारी दी गई। साथ ही घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, मानव तस्करी, बाल विवाह, साइबर स्टॉकिंग एवं अन्य लिंग आधारित हिंसा के विभिन्न स्वरूपों पर चर्चा की गई। सत्रों के दौरान यह भी बताया गया कि बहू–बेटी सम्मेलन के सफल संचालन में थाना स्तर पर स्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं, किशोरियों, जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं अन्य सामुदायिक हितधारकों

को जोड़कर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर अभिसारी कार्ययोजना के तहत कार्य करने पर बल दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी थानों के लिए चरणबद्ध माइक्रो प्लान तैयार करने, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप गतिविधियों का चयन करने, समुदाय आधारित नेतृत्व विकसित करने तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि सम्मेलन केवल संवाद तक सीमित न रहकर ठोस कार्रवाई एवं सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने का माध्यम बने। पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपने सम्बोधन में ''किसी भी सभ्य समाज की नींव उसकी सुरक्षा, समानता और न्यायपूर्ण व्यवस्था पर आधारित होती है। यह केवल कानून–व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और मानवीय गरिमा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी सोच और उद्देश्य के साथ गोरखपुर जोन में "बहू–बेटी सम्मेलन" कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इससे पूर्व भी गोरखपुर जोन के विभिन्न जनपदों में इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है।यह अभिनव पहल गोरखपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक श्री अशोक कुमार जैन की दूरदर्शी सोच एवं मार्गदर्शन का परिणाम है। उनका स्पष्ट मानना है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि परिवार, समुदाय, पंचायत, विद्यालय, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य सभी संबंधित विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी दृष्टिकोण को व्यवहारिक रूप देने के लिए "बहू–बेटी सम्मेलन" को जनभागीदारी आधारित अभियान के रूप में विकसित किया गया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जनपद गोण्डा के सभी 18 थाना क्षेत्रों में 18 मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना की गई है। ये मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं एवं बालिकाओं को सहायता, परामर्श, मार्गदर्शन तथा विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से प्रत्येक गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित रूप से बहू–बेटी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इन सम्मेलनों में महिलाओं एवं बालिकाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर समुदाय के साथ सार्थक संवाद स्थापित किया जाता है। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि दिसंबर 2025 के प्रथम सप्ताह से लेकर वर्तमान समय तक जनपद गोण्डा में कुल 414 स्थानों पर बहू–बेटी सम्मेलनों का सफल आयोजन किया जा चुका है। इन आयोजनों में महिलाओं, किशोरियों, स्वयं सहायता समूहों की सदस्याओं, ग्राम प्रधानों, पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा बहुओं तथा अन्य सामुदायिक सदस्यों की सक्रिय सहभागिता रही है। इन सम्मेलनों के माध्यम से बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, साइबर अपराध, मानव तस्करी, लैंगिक भेदभाव तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक जनजागरूकता उत्पन्न की गई है। आज आयोजित यह कार्यशाला बहू–बेटी सम्मेलन की अवधारणा, उसके प्रभावी क्रियान्वयन, जेंडर आधारित हिंसा की समझ, कानूनी प्रावधानों तथा पीड़ितों के लिए उपलब्ध सहायता तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज यहां उपस्थित सभी अधिकारी एवं प्रतिभागी इस कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव का उपयोग अपने–अपने कार्यक्षेत्र में करेंगे तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सहयोगी वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।''

कार्यशाला के समापन अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती शिप्ला वर्मा द्वारा समापन उद्बोधन एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित सभी अतिथियों, यूनिसेफ के विशेषज्ञों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम तथा लिंग आधारित हिंसा के उन्मूलन के लिए सभी विभागों एवं समुदाय की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बहू–बेटी सम्मेलन के माध्यम से समाज में जागरूकता का विस्तार होगा तथा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रयासों को और अधिक मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों द्वारा महिला सुरक्षा एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी कार्य करने का संकल्प लिया गया। कार्यशाला के माध्यम से जनपद गोण्डा में बहू–बेटी सम्मेलन कार्यक्रम के

सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की गई, जिससे महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम तथा सुरक्षित एवं समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.06.2026

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–124/26, धारा 305 बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. सुखप्रीत मौर्या, 02. मालिकराम सोनकर को चौखड़िया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद चोरी के पानी के मोटर पम्प व घटना में प्रयुक्त 01 अदद हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
वादी विकास सोनी पुत्र धनलाल सोनी निवासी ग्राम भगवानदीन पुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि हनुमानगढ़ी चौराहे के निकट उसका निर्माणाधीन मकान है, जिसमें निर्माण कार्य हेतु एक 01 एचपी क्रम्पटन कम्पनी की मोटर लगी हुई थी तथा एक 01 एचपी किरलोस्कर कम्पनी की मोटर घर के अन्दर रखी हुई थी। दिनांक 31.05.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा दोनों मोटरों को चोरी कर लिया गया। काफी खोजबीन एवं तलाश की गई, किन्तु चोरी गई मोटरों के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 04.06.2026 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी की घटना कारित करने के 02 आरोपी अभियुक्तों–01. सुखप्रीत मौर्या, 02. मालिकराम सोनकर को चौखड़िया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद चोरी के पानी के मोटर पम्प व घटना में प्रयुक्त 01 अदद हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. सुखप्रीत मौर्या पुत्र रिजेन्द्र कुमार निवासी अचलापुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. मालिकराम सोनकर पुत्र हरीराम निवासी ग्राम विरमापुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–
01. मु0अ0सं0–124/26, धारा 305,317(2) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 02 अदद पानी का मोटर पम्प
02. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल हीरो एचएफ डिलक्स

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 श्री डोरीलाल गंगवार
02. हे0का0 सन्तोष कुमार
03 .का0 भूपेन्द्र कुमार
04. का0 पंकज कुमार प्रेमी
05. का0 ऋषिकेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 04.06.2026</u>

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

<u>कार्यवाहीः–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–131/2026 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. मोहम्मद अयान पुत्र अमीरूल हसन उर्फ मुन्ना, 02. मुन्ना उर्फ अमीरूल हसन पुत्र अबुल हसन निवासीगण वार्ड न0 4 मोहल्ला दलाल टोला नगर पंचायत व कस्बा व थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा को शंकर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

वादी राजू उर्फ रोहित गोस्वामी पुत्र राघव राम निवासी वीरपुर कटरा वार्ड नं0–06, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 03.06.2026 को रात्रि लगभग 09:00 बजे पीपल चौराहा, कटरा बाजार के पास सरफराज खान, राजू कबाड़िया, अली हसन, जमील, सरफराज अंसारी, जावेद, अशरफ एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा गाली–गलौज करते हुए डण्डा एवं ईंट से मारपीट करते हुए जानलेवा हमला किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटरा बाजार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त 02 आरोपी अभियुक्त 01. मोहम्मद अयान पुत्र अमीरूल हसन उर्फ मुन्ना, 02. मुन्ना उर्फ अमीरूल हसन पुत्र अबुल हसन निवासीगण वार्ड न0 4 मोहल्ला दलाल टोला नगर पंचायत व कस्बा व थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा को शंकर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कटरबाजार पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. मोहम्मद अयान पुत्र अमीरूल हसन उर्फ मुन्ना, नि0 वार्ड न0 4 मोहल्ला दलाल टोला नगर पंचायत व कस्बा व थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
02. मुन्ना उर्फ अमीरूल हसन पुत्र अबुल हसन नि0 वार्ड न0 4 मोहल्ला दलाल टोला नगर पंचायत व कस्बा व थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–131/2026 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1) बीएनएस थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 श्री राजेन्द्र कनौजिया।
02. हे0कां0 सुनील कुमार।
03. हे0कां0 अतिउल्लाह अन्सारी।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 04.06.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को हुई 05–05 वर्ष का सश्रम कारावास व एवं प्रत्येक को रुपये 17,000–17,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.08.2020 को थाना कटराबाजार में मारपीट व गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने का अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए घटना में संलिप्त 03 आरोपी अभियुक्तों– कुर्बान अली, इरफान अली व जमील अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 05.10.20220 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ‘‘ऑपरेशन कन्विक्शन’’ के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे न्यायलय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री दानिश हसनैन द्वारा प्रभारी मॉनीटरिंग सेल निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक श्री अमित कुमार पाठक, कोर्ट मोहर्रिर का0 प्रशान्त त्रिपाठी व थाना कटरा बाजार के पैरोकार हे0कां0 सुनील शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 04.06.2026 को दोषी अभियुक्तों– कुर्बान अली, इरफान अली व जमील अली दोषसिद्ध करते हुए 05–05 वर्ष का सश्रम कारावास व रुपये 17,000–17,000/– अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्तगण का नाम पता–

01. कुर्बान अली पुत्र स्व० मुनौवर अली उर्फ खुनखुन, निवासी–रंकिनपुरवा, मौजा गण्डाही, थाना–कटरा बाजार, जनपद गोण्डा।
02. इरफान अली पुत्र स्व० मुनौव्वर अली उर्फ खुनखुन, निवासी–रंकिनपुरवा, मौजा गण्डाही, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा।
03. जमील अली पुत्र जमूरत अली, निवासी रंकिनपुरवा, मौजा गण्डाही, थाना कटरा बाजार, जनपद–गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0– 183/2020, धारा 308,323,324,325,452,504 भादवि थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।